

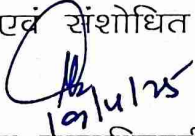
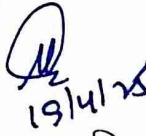


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - 56/2025

धारा 163 भा0 ना0 सु0 सं0

राजेश मंडल बनाम कोल्ही मंडल वगैरह

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19/4/25	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी ^{माना प्रभारी सरिया} बिस्नी के पत्रांक - 705, दिनांक- 19.04.2025 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 02/5/25 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 02/5/25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित  19/4/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)  19/4/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)	

क्र० सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

02/05/25

उक्त पक्ष उपस्थित/विलीन पक्ष के
द्वारा 10/5 तथा राजस्व कोषगत,
फोर्गोनाफ दाखिल किया गया/
स्वत्व (TAHE) का मामला खीन
होता है।

अगली तिथि - 16/05/25

02/05/25

16-5-25

उक्त पक्ष उपस्थित/प्रथम पक्ष की ओर
से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

आदेश हेतु

16/05/25

आदेश

16/5/25

वा.सं. 56/25
(भा.नो.पु.सं.की
धारा 163 के तहत)

धाना उभारी सचिवा के प्रतिवेदन
(क्रमांक 705/2025 दिनांक 19/4/25)
के अवलोकन से संतुष्ट होकर
लोक परिशोति भंग होने की
आशंका पर अनुमंडल पदाधिकारी,
खगोदर-सचिवा के ल्यानीय
अधिकारिता संबंधित
श्रेष्ठ अधिकार अंतर्गत अवलोकन
विवाद-पद भूमि जिसका

क्र० सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

विवरण तफसील से नोटिस में दर्ज
हैं पर दिनांक 19-04-25 की
उभाकी तिलि से भा. ना. सु. सं.
की धारा 163 के तहत निवेद्या
उक्त किमा तथा उभय पक्ष को
उक्त भूमि पर जाने अवका कोई
कार्य किए जाने से प्रतिबंधित
किमा) नोटिस निर्गत का उभय
पक्ष से कारण प्रवृद्धा भी की गई।

उभय पक्ष अधोद्वाराशरी
के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा
अपना - अपना पक्ष रखा। प्रथम
पक्ष का कहना है कि विवादग्रस्त
भूमि उनकी स्वातिथानी रैयती
भूमि है तथा उक्त भूमि पर
द्वितीय पक्ष काजकरण चेहादीवरी
निर्माण कर रहे हैं अतः विवाद
उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने
दावे के समर्थन में स्वातिथान
की दाय्या प्रति तथा लगान रसीद
की दाय्या प्रति संलग्न करने
हैं।

द्वितीय पक्ष का कहना है
कि उक्त विवादग्रस्त भूमि उनकी
स्वदीवगी भूमि है। उक्त जमीन
को उनके पूर्वजों ने प्रथम
पक्ष के पूर्वजों से 18-09-1948
को खरीदा है तथा अंचल

1 की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कागजाल में दाखिल-खादिल कलवा कल दावलकार चले आते हैं। तब उक्त भूमि पर उसका मकान भी बना हुआ है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित विग्रह बिजोह की दायाउति, एक जगान रसीद की दायाउति संलग्न करते हैं। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागज पुर्दा का अध्ययन करने, उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राखत दस्तावेजों साक्षी के अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के पूर्वजों से लगभग 77 वर्ष पूर्व निबंधित विग्रह पत्र के माध्यम से उक्त भूमि का क्रय किया तथा दाखिल खादिल कलवा कल उक्त भूमि के उभयग में है। प्रथम पक्ष के द्वारा इनके वर्षों के पश्चात् कैरवारा को आधार बनाकर द्वितीय पक्ष के साथ विवाद किया जा रहा है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ हुए जमीन के विग्रह को अर्पण भी नहीं मानते	

1 की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	हैं। प्रथम पक्ष को यदि बैरवारा या स्वत्व से संबंधित कोई-विवाद है तो सशम न्यायालय में वाद लाकर उसका निपटारा कर सकते हैं। विधिवत अन्तर्ण के उपरान्त कायम हुए द्वितीय पक्ष की अमावसी को चुनौती विधिवत रूप से दिए जाएंगे अथवा निबंधित विवाद पक्ष को सशम न्यायालय में विधिवत चुनौती दिए जाएंगे प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के साथ विवाद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद में निषमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध Absolute तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिकत किया जाता है। प्रथम पक्ष चाहें तो सशम न्यायालय में वाद का निपटारा हेतु appropriate याचिका दाखल कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त होशित की जाती है। लेखापति एवं वंशोचित  SDM Bagodar-Saig  SDM Bagodar-Saig.	